न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2024

बद्री पुत्र स्व० श्री रामदेव उम्र करीबन 60 वर्ष जाति जाति कुम्हार सर्व निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

–प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

–अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि.

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

निर्णय दिनांक 15.10.2025

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि जरिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि माननीय न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया है। जिसमे सफलता मिलने की पूर्ण आशा है परन्तु वाद पत्र में समय लगना स्वभाविक है इस कारण प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पत्र के साथ उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी की कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग की कृषि भूमि ग्राम नलू पटवार हल्का नलू तहसील किशनगढ़ में अवस्थित है। जिसके पूर्व खसरा नम्बर 1000 रकबा 1.8122 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1025 रकबा 2.3866 हैक्टेयर भूमि है जिसमें प्रार्थी अपने पूर्वाधिकारी के समय से ही काबिज काश्त है। राज्य सरकार द्वारा सभी जिलो में कलक्टर द्वारा निर्देश जारी किये गये है कि भू–संशोधन के अवशेष के प्रकरण मानते हुये सन् 1999 में आदेश पारित किये कि लगातार काबिज काश्त काश्तकारों को नियमन करने अथवा धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी दिये जाने बाबत अप्रार्थी (तहसीलदार) द्वारा अनुशंषा करनी चाहिये थी। परन्तु तहसीलदार अर्थात अप्रार्थी द्वारा विधि के तहत कार्यवाही नहीं करने से प्रार्थी को अथवा इनके पूर्वाधिकारियो को नियमन अथवा खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुये है। इसके लिये अप्रार्थी का उत्तरदायित्व है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के पूर्वाधिकारी लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त होने के कारण खातेदारी प्राप्त करने के प्रार्थी अनुतोषदायी है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त आराजी में अथाह आर्थिक व शारिरिक परिश्रम करके भूमि को उपजाउ योग्य तैयार किया गया है। जो सुधार कि श्रेणी में आता है। फिर भी अप्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क सुधारपंजिका दी जाती है। जिसमें सभी व्यक्तियों द्वारा किये गये सुधार का विवरण दिया जाता है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा सुधार पंजिका में भी उल्लेखित नहीं किया गया है। इस कारण से अप्रार्थी द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीनता के लक्षण प्रकट होते है एवं अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारी अर्थात पटवारी हल्का को भी घटना बही पंजिका राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदत्त कि जाती है। जिसमें समस्त काश्तकारों एवं अतिक्रमण से सम्बन्धित व्यक्तियों कि जानकारी रखी जाती है। परन्तु सरकार द्वारा प्रतिपादित विधियों का निचले स्थर पर सही क्रम में अर्थात विधिक क्रम में कार्यवाही नहीं

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

करने से लम्बे अर्से से काबिज, सद्भाविक काश्तकार विधिक अनुतोष प्राप्त करने से वंचित रह जाते है जिसका मुख्य कारण अप्रार्थी के विधिक दायित्वो का सही निर्वहन नहीं किया गया है। प्रार्थी एवं प्रार्थी के पूर्वाधिकारी एक सद्भाविक कृषक व भूमिहीन व्यक्ति वाद वर्णित आराजी में अपने पूर्वाधिकारी के समय से विगत 40–45 वर्षों से काबिज काश्त रहकर अपने व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। प्रार्थी वर्णित आराजी में काबिज रहने का अप्रार्थी को पूर्ण संज्ञान है। प्रार्थी एवं पूर्वाधिकारी वाद वर्णित आराजी में लगातार काबिज रहने के फलस्वरूप अप्रार्थी के न्यायालय भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत 5–6 दशको से प्रार्थी के नाम से प्रकरण दर्ज होते आ रहे है एवं प्रार्थी का कब्जा पी–14 (खसरा परिवर्तनशील) में कब्जा ताईद किया गया है। प्रार्थी एवं पूर्वाधिकारी उपरोक्त वर्णित आराजी में अथाह आर्थिक व शारीरिक परिश्रम करके उपरोक्त आराजी को उपजाउ योग्य तैयार करके चौतरफा डोल करके उपजाउ मिट्टी डाल कर कृषि योग्य बना कर कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रार्थी पिछडी जाति का निम्न श्रेणी का व्यक्ति है एवं सतत् रूप से वर्णित आराजी में काबिज काश्त होने से राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आंवटन) नियम 1970 के नियम 20 (2) प्रावधान किया गया है कि "15 बीघा से अधिक क्षेत्रफल के लिये सामान्य श्रेणी में आने वाले अतिक्रमण से, पडौस में स्थित कृषि भूमि का बाजार मूल्य से प्रसारित किया जायेगा यदि वे अतिक्रमी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /पिछडी जाति/गरीब रेखा श्रेणी से निचे से सम्बन्धित हो" इस प्रकार प्रार्थी पूर्णत इन नियमो का पालना सतत् रूप से किया जा रहा है एवं पीछडी जाति से सम्बन्ध रखता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य में प्रत्येक वार्षिक वर्ष की समाप्ती अथवा मध्यान्तर में ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व केम्प का आयोजन किया जाता है ऐसे कैम्प के अनुसार ऐसी भूमियों बाबत् आंवटन नियमन किया जाना आवश्यक था परन्तु अप्रार्थी द्वारा केवल औपचारिकता पूर्ण धारा 91 की कार्यवाही कर जुर्माना ताईद करने के पश्चात् बेदखली के आदेश केवल मात्र दस्तावेजी रिकार्ड में किया गया है जबकि वास्तविक रूप से प्रार्थी वर्णित आराजी में सतत् रूप से काबिज काश्त है। प्रार्थी वर्णित आराजी में अपने पूर्वाधिकारी के समय से विगत 40–45 वर्षों से निरन्तर अबाध रूप से काबिज रहने से प्रार्थी धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। संशोधित धारा 15 ए.ए.ए. में विधायिक द्वारा संशोधित किया गया कि अजमेर जिले में काश्तकारों के रिकॉर्ड में हुई विंसगतियों को सुधारा जा सके इस कारण से प्रार्थी के पक्ष में वाद वर्णित आराजी की खातेदारी की प्रदान कर अधिकार अभिलेख में इन्द्राज करवाने के प्रार्थी कानूनन् अधिकारी है। प्रार्थी वाद वर्णित आराजी में अपने पूर्वाधिकारी के समय विगत 40–45 वर्षों से निरन्तर रूप से अप्रार्थी को पूर्ण संज्ञान होने के बावजूद काबिज काश्त है। जिसका प्रमाण पी–14 की प्रमाणित नकल प्रमाण हेतु प्रस्तुत है इस प्रकार प्रार्थी सतत् रूप से काबिज होने से अप्रार्थी का राजकिय दायित्व था कि प्रार्थी का नियमन प्रकरण तैयार कर आंवटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था जिससे प्रार्थी के पक्ष में वर्णित आराजीयात आंवटन/नियमन की जा सकती थी इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के पक्ष में धारा 91 की कार्यवाही करने के पश्चात् लम्बे अर्से से काबिज होने का प्रमाण सिद्ध होने

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

के पश्चात् भी आंवटन / नियमन के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व गुप–6 विभाग क्रमांकः/प.06 (39) राज.– 6/2001/6 जयपुर दिनांक 07.06. 2003 को श्रीमान् बी.एस. मीणा साहब शासन उप सचिव द्वारा परिपत्र जारी किया गया है कि यदि सरकारी भूमि पर विगत दो वर्षों का कब्जा रिकोर्ड से प्रमाणित होना चाहिए इसके स्थान पर यदि कोई पिछले दो वर्षों के बेदखली के नोटिस भी प्रस्तुत कर देता है तो उसे मान लिया जावे। जब कि प्रार्थीगण अपने पूर्वाधिकारी के समय से विगत 40–45 वर्षों से उपरोक्त आराजी में काबिज काश्त होने का सिद्ध है। इस कारण से प्रार्थीगण के उपरोक्त आराजी में खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक प.–9 (6) राज. –5/2000/16 जयपुर दिनांक 16.10.2001 में अधिनियम पारित किया गया है कि जो विगत 10 वर्षों से सिवायचक, चरागाह भूमि में काबिज काश्त होने का व लगातार अतिक्रमण करने के कारण नियमन के अधिकार प्रार्थी को प्राप्त हैं। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राज्य सरकार द्वारा पारित समय समय पर परिपत्रों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की परिभाषा में इंगित किया गया है। राज्य सरकार का समय समय पर परिपत्र जारी करने का उद्देश्य जटिल विधि के सिद्धान्तों को सरलीकरण करके आम काश्तकारों को लाभपहुंचाने की मंशा है जिससे आम काश्तकारों को आजीविका के स्त्रोत प्रदान करना है। इस प्रकार प्रार्थीगण सद्भाविक रूप से श्रीसरकार से अपना अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थी उपरोक्त वर्णित आराजी में अपने पूर्वाधिकारी के समय से विगत 40–45 वर्षों से लगातार निर्बाध रूप से काबिज काश्त है अप्रार्थी द्वारा अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित करके प्रार्थी के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है एवं उपरोक्त आराजीयात अन्य दीगर व्यक्ति / संस्था के आवंटन / नियमन करने पर उतारू है इसलिए अप्रार्थी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित आराजी से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे एवं कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत, व्यवधान, रूकावट उत्पन्न नहीं करने एवं उपरोक्त आराजीयात अन्य दीगर व्यक्ति / संस्था के आवंटन/नियमन नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्ट्या, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्तनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है प्रार्थी उपरोक्त आराजीयात पर अपने पूर्वाधिकारीयों के समय से ही कब्जा काश्त करते आ रहे है परन्तु अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को मौके पर आकर बेदखल करने पर आमादा हो गये एवं पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी को धमकी दी की उपरोक्त आराजी का कब्जा छोड़ कर कब्जा राज्य सरकार को सुपुर्द कर देवे, एवं अन्य दीगर व्यक्ति/संस्था को आवंटन / नियमन करने की एलानिया धमकी दी गयी अगर प्रतिवादी अपने अवैध मन्सुबे में कामयाब हो जायेगे तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारीत होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार से किया जाना सम्भव नहीं होगा। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से सम्पूर्ण श्रवणाधिकार प्राप्त है, प्रार्थना पत्र पर उचित न्याय शुल्क चस्पा है. प्रार्थना पत्र में मियाद जैसा प्रश्न लागू नहीं होता है। प्रार्थी की कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग की कृषि भूमि ग्राम नलू पटवार हल्का नलू तहसील किशनगढ़ में अवस्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

जिसके पूर्व खसरा नम्बर 1000 रकबा 1.8122 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1025 रकबा 2.3866 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी व इसके नौकर, चाकर, एजेन्ट, कर्मचारीयों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित नहीं करने एवं उपरोक्त आराजीयात को अन्य दीगर व्यक्ति / संस्था को आवंटन /नियमन नहीं करने हेतु अर्थात ताफैसला मूल वाद मौका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2024 को दर्ज किया तथा नोटिस अप्रार्थी को वास्ते जाहिर करने की वजह बाबत जारी किये गये। तहसीलदार किशनगढ द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि समस्त बिन्दु एवं वाद अस्वीकार है। ग्राम नलू की वर्तमान जमाबन्दी अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2067–2070 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) से स्थाई के खाता संख्या 1 ख.नं. 1000 रकबा 1.8122 हैक्टर किस्म बंजर 2 व ख.नं. 1025 रकबा 2.3866 हेक्टर किस्म पत्थर पर राजस्थान सरकार सिवायचक खाते मे दर्ज है। वाद में राजहित प्रभावित होता है अतः वाद खारिज योग्य है।

3. दिनांक 15.10.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा धारा 212 राज.का.अधि. के प्रार्थना पत्र का तीन बिन्दुओं पर विवेचन किया गया।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि में प्रार्थी वर्तमान में खातेदार नहीं है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया है जिससे वादअधीन भूमि में उसका हक जाहिर हो, जबकि वादअधीन भूमि राजकीय भूमि दर्ज है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः– वादअधीन भूमि में प्रार्थी की खातेदारी दर्ज नहीं है, वादअधीन भूमि वर्तमान में राजकीय भूमि दर्ज है जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है।

अपूरणीय क्षतिः– अप्रार्थीगण वादअधीन भूमि में खातेदार नहीं है वादअधीन भूमि राजकीय भूमि दर्ज है जो कि अप्रार्थी के नाम दर्ज है, अपूरणिय क्षति अप्रार्थी का कारित है।

प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणिय क्षति को सिद्ध करने में असफल रहें है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अन्य बिन्दु वाद विचारण के दौरान तय किये जायेगें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)